<u>अनुलग्नक- क</u>

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड - मेटीरियलिटी पॉलिसी

1. परिचय

इस नीति ("**नीति**") का गठन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड **('कंपनी")** के संबंध में ग्रुप कंपनियों की पहचान करने, लंबित मुकदमों और लेनदारों की बकाया राशि के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी एवं प्रकटन अर्हता) विनिमयन, 2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) ("**सेबी आईसीडीआर विनिमयन")** की अनुसूची आठ के अंतर्गत मेटीरियलिटी की व्याख्या करने के लिए किया गया था, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में मेटीरियलिटी पॉलिसी का उल्लेख किया जाना चाहिए।

2. प्रयोज्यता

2.1 कंपनी के निदेशक मंडल ("**बोर्ड")** ने 24 अक्टूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में चर्चा करते हुए इस नीति को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

2.2 इस नीति में "**ऑफर डॉक्यूमेंट"** शब्द का अर्थ ड्रॉफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स और प्रोस्पेक्ट्स से लिया जाएगा जिसमें सभी प्रकार के संशोधन, सप्लीमेंट अथवा सुधार शामिल किए जाएंगे। इन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमियन बोर्ड, कंपनी पंजीकरण अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा हरियाणा और/अथवा ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है, के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित आरंभिक पब्लिक ऑफर के संबंध में कंपनी द्वारा भरा जाएगा।

इस नीति में विशेष रूप से व्याख्या नहीं की गई अन्य सभी केपिटलाइज्ड शर्तों का अर्थ ऑफर डॉक्यूमेंट में दी गई समान शर्तों के रूप में ही लिया जाएगा।

3. 'मेटीरियल' ग्रुप कंपनियों की पहचान

3.1 अर्हताएं

सेबी आईसीडीआर नियमों के अनुसार, जहां-जहां ''ग्रुप कंपनीज़'' शब्द आएगा, वहां-वहां इसका अर्थ लागू होने वाले लेखा मानकों (अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया **''लेखा मानक 18''** द्वारा जारी लेखा मानक 18 के अधीन शामिल की जाने वाली इस तरह की कंपनियों के साथ-साथ ऐसी अन्य कंपनियां भी शामिल की जाएंगी जिन्हें जो बोर्ड द्वारा मेटीरियल स्वीकार किया गया हो। नीचे दी गई मेटीरियलिटी पॉलिसी का प्रकटन ऑफर डॉक्यूमेंट में किया जाएगा।

3.2 मेटीरियलिटी पॉलिसी

ऑफर डॉक्यूमेंट में पॉलिसी के प्रकटन उद्देश्य से, किसी कंपनी को मेटीरियल माना जाएगा और ऑफर डाक्यूमेंट में उसका ''ग्रुप कंपनी'' के रूप में प्रकटन तभी किया जाएगा, यदि पिछले पांच वर्षों में (जिसमें वह स्टब अवधि शामिल होगी जिसके अंतर्गत इस ऑफर डॉक्यूमेंट में वित्तीय सारणियों को सम्मिलित किया गया है, और ऐसी अवधि को ''**संगत अवधि''** कहा जाएगा) लेखा मानक 18 के अनुसार सत्ताधारी कंपनी की स्टेंडअलोन एवं समेकित वित्तीय सारणियों में प्रकटन किया जाना अनिवार्य हो, उन कंपनियों को छोड़कर जिन्हें संबंधित अवधि के लिए कंपनी की समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय सारणियों में लेखा मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टी संबंधों की अनुसूची में शामिल किया गया हो।

संदेह निवारण के लिए, स्पष्ट किया जाता है कि, संगत अवधि अथवा अनुवर्ती अवधि में किसी भी कंपनी ने लेखा मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टी का दर्जा खो दिया है और संगति अवधि के बाद जिसपर लेखा मानक 18 के अधीन नियंत्रण अथवा प्रभाव न रहा हो, उसे ऑफर डॉक्यूमेंट में प्रकटन के उद्देश्य से ''ग्रुप कंपनी'' नहीं माना जा सकता है।

4. 'मेटीरियल' मुकदमेबाजी की पहचान (आपराधिक कार्यवाहियों, सांविधिक/विनियामक कार्रवाई एवं कराधान विषयों को छोड़कर)

4.1 अर्हताएं

सेबी आईसीडीआर नियमों के अनुसार, कंपनी ऐसे सभी मामलों का प्रकटन करेगी जिसमें कंपनी/निदेशकगण/ग्रुप कंपनियां शामिल हों:-

(i) सभी आपराधिक कार्यवाहियां
(ii) सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों द्वारा सभी कार्रवाईयां
(iii) कराधान कार्यवाहियां - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित दावों का समेकित रूप में अलग प्रकटन जिसमें मामलों की संख्या और राशि का विवरण दिया गया हो तथा
(iv) अन्य लंबित मुकदमे - बोर्ड द्वारा मेटीरियलिटी नीति की व्याख्या एवं ऑफर डॉक्यूमेंट में प्रकटन के अनुसार।

4.2 मेटीरियलिटी नीति

उपरोक्त पेरा 4.1 (i), (ii) और (iii) में वर्णित मुकदमों के अतिरिक्त, कंपनी, निदेशकमंडल तथा ग्रुप कंपनियों को शामिल करने वाले अन्य लंबित मुकदमों को ऑफर डाक्यूमेंट में प्रकटन के उद्देश्य हेतु ''**मेटीरियल**'' माना जाएगा, यदि

(i) कंपनी, निदेशकमंडल, ग्रुप कंपनियों द्वारा अथवा उनके विरूद्ध दावा राशि किसी भी लंबित मुकदमें में ऑफर डाक्यूमेंट में सम्मिलित संपूर्ण वित्तीय वर्ष में कंपनी की पिछली समेकित वित्तीय सारणियों के अनुसार उसके कुल राजस्व का 1.00 प्रतिशत से अधिक हो, अथवा

(ii) ऐसे लंबित मुकदमे कंपनी के व्यवसाय, प्रचालन, प्रोस्पेक्ट्स अथवा प्रतिष्ठा की दृष्टि से मेटीरियल कहे जाएंगे।

स्पष्ट किया जाता है कि पेराग्राफ 4 में वर्णित व्याख्या के अतिरिक्त, आफर डाक्यूमेंट में लंबित मुकदमों के प्रकटन में कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित प्रकटन भी शामिल किए जाएंगे।

5. लेनदारों की "मेटीरियल" बकाया राशि की पहचान

5.1 अर्हताएं

सेबी आईसीडीआर नियमों के अनुसार, कंपनी ऑफर डॉक्यूमेंट में लेनदारों की बकाया राशि का उचित प्रकटन करेगी:

(i) बोर्ड की मेटीरियल नीति और ऑफर डॉक्यमेंट में सूचना के अनुसार, लेनदारों का प्रकटन किया जाएगा।

(ii) लघु उपक्रमों तथा अन्य लेनदारों पर बकाया राशि की समेकित सूचना जिसमें मुकदमों की संख्या और राशि का अलग से उल्लेख किया जाएगा और

(iii) उपरोक्त पेरा (i) और (ii) के अनुसार, लेनदारों की बकाया राशि के संपूर्ण विवरण कंपनी के वेबपेज पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिसके लिए ऑफर डॉक्यमेंट में एक लिंक दी जाएगी।

5.2 मेटीरियलिटी नीति

मेटीरियल लेनदारों की पहचान के लिए, कंपनी के किसी भी लेनदार को ऑफर डॉक्यूमेंट में प्रकटन के उद्देश्य से मेटीरियल तभी समझा जाएगा, यदि उनमें से किसी की भी बकाया राशि संपूर्ण वित्तीय वर्ष में कंपनी की पिछली समेकित वित्तीय सारणियों के अनुसार उसके कुल राजस्व का 1.00 प्रतिशत से अधिक होगी।

5.3 मेटीरियल लेनदारों, लघु उपक्रमों, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ (एमएसएमई) एवं अन्य लेनदारों से संबंधित ऑफर डॉक्यूमेंट में प्रकटन

(i) उपरोक्त पॉलिसी पर आधारित मेटीरियल के रूप में पहचाने गए लेनदारों (**"मेटीरियल क्रेडिटर्स")** के लिए मेटीरियल क्रेडिटर्स की कुल संख्या और इनकी बकाया समेकित राशि का उल्लेख ऑफर डॉक्यूमेंट में किया जाएगा।

(ii) लघु उपक्रम (**एसएसआई")** अथवा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ (**"एमएसएमई"**) जैसी किसी पार्टी पर बकाया राशि के लिए, प्रकटन कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित होगा जिसमें उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 2 और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 2 में उल्लिखित/परिभाषित लेनदारों की स्थिति शामिल की जाएगी, जैसा कि कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा संशोधित करते हुए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार पहचान किए गए एसएसआई, एमएसएमई और अन्य लेनदारों (मेटीरियल क्रेडिटर्स को छोड़कर) के लिए समेकित सूचना ऑफर डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित विधियों में प्रस्तुत की जाएगी:-

क. इस संस्थाओं पर समेकित बकाया राशि

ख. संस्थाओं की कुल संख्या

6. सामान्य

यह नीति समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों/समीक्षा तथा विनियामक संशोधन के अधीन होगी।